

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, (नैनीताल)
Uttarakhand Open University

क्रमांक-वाहनो हेतु निविदा/

दिनांक:-28/12/2023

वाहन किराये के लिए निविदादाताओं (फर्मों) के इम्पैनलमेन्ट हेतु निविदा आमंत्रण

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के उपयोगार्थ तथा समय-समय पर वाहनों की आवश्यकता के दृष्टिगत टैक्सी एवं माल वाहन (Pickup) उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं से फर्मों को इम्पैनलमेन्ट हेतु उत्तराखण्ड राज्य की निविदादाताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधी नियम, शर्तें एवं अधिक जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में राशि रू0-1000/- (एक हजार मात्र वापस योग्य नहीं) जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, अथवा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की वेबसाइट <http://www.uou.ac.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा के निर्धारित नियम, शर्तों में या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर संशोधित सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जायेगी। केवल उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जायेगी।


कुलसचिव

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी हेतु वाहन किराये के लिए फर्मों के इम्पैनलमेन्ट हेतु
निविदा-प्रपत्र आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना क्रमांक-

दिनांक: 28/12/2023

// निविदा प्रपत्र आमंत्रण //

01	निविदा प्रपत्र का शुल्क	रूपये 1000/- (वापसी योग्य नहीं)
02	धरोहर राशि (EMD)	रूपये 10,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
03	निविदा प्रपत्र क्रय/ डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11.01.2024 समय 2:00 बजे अपराहन तक
04	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11.01.2024 समय 2:00 बजे अपराहन तक
05	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 11.01.2024 समय 3:00 बजे अपराहन तक

वाहन किराये से लिए जाने हेतु नियम एव शर्त:-

1. तकनीकी विड का प्रारूप एवं समस्त वांछित अभिलेख जमा किये जाने आवश्यक हैं, अन्यथा तकनीकी विड निरस्त कर दी जायेगी। (प्रारूप, संलग्नक 1)
2. सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र स्पष्ट रूप से भरे होने चाहिए, अधूरे प्रपत्र अथवा कटिंग (ओवर राइटिंग) वाले दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। सेवाप्रदाता के द्वारा तकनीकी विड में वांछित अभिलेखों को क्रमवार संलग्न कर जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. यदि किसी कारणवश सेवाप्रदाता चयन किये जाने के दिवस को अवकाश घोषित होता है, तो उस स्थिति में अगले कार्यदिवस में निविदा खोलने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
4. सेवाप्रदाता की ओर से किसी प्रकार के नियम अथवा शर्त अधिरोपित किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा। जमा किये गये दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर तथा फर्म के मालिक/साझेदार के नाम सहित हस्ताक्षर अंकित होना अनिवार्य है।
5. सेवाप्रदाता फर्म को इस आशय का शपथ पत्र (रु0 100/- के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर) नोटरी मोहर सहित प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्थान द्वारा अपात्र (ब्लैक लिस्टेड) नहीं किया गया है। उक्त शपथ पत्र की स्कैन सॉफ्ट कॉपी संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। (प्रारूप, संलग्नक-2)
6. निविदाकर्ता का GST पंजीकरण होना चाहिए। (कर विभाग द्वारा जारी की गयी GST पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
7. यात्रा के दौरान वाहन में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से वाहन में खराबी अथवा दुर्घटना की स्थिति में फर्म को तत्काल दूसरे वाहन की आपूर्ति करनी होगी।
8. निविदाकर्ता के पास उत्तराखण्ड शासन द्वारा यथा प्रावधानित नियमानुरूप स्वयं के कम से कम (05 वाहन टैक्सी/हल्का व भार वाहक) वाहन होना अनिवार्य है। वाहन अच्छी स्थिति में होना अनिवार्य है एवं वाहन मॉडल

वर्ष 2019 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। वाहन के संबंध में शिकायत एवं सुदृढ/सुव्यवस्थित नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जाएगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जाएगा।

9. किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
10. निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
11. वाहनों में जी0पी0एस0 होना अनिवार्य होगा, जी0पी0एस0 न होने की स्थिति में वाहन नहीं लिया जायेगा।
12. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, के कार्य हेतु किराये पर लिये जाने वाले टैक्सी, भार वाहक वाहनो की किराये की दरें परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के विज्ञप्ति संख्या- एसटीए/दस/82/2022 दिनांक 15 जुलाई 2022 उत्तराखण्ड शासन द्वारा यथाउपबंधित व्यवस्था के अनुसार होगी। (प्रारूप, संलग्नक-03)
13. निविदादाता का वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रत्येक वर्ष हेतु वार्षिक टर्न ओवर रु0 5,00,000/- (रु0-पाँच लाख मात्र) से कम नहीं होना चाहिए। वार्षिक आय विवरण/प्रमाण पत्र तकनीकी विड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है। (विगत 2 वित्तीय वर्ष का औसत (CA सर्टिफिकेट/ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।)
14. धरोहर/अमानत राशि(ई0एम0डी0) रु0-10,000.00(दस हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी को देय होगा। उक्त भुगतान बैंक डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाईन माध्यम से करने के उपरान्त भुगतान करने की प्रमाण पत्र /रसीद तकनीकी प्रस्ताव के साथ, संलग्न करना अनिवार्य होगा। धनराशि जमा न होने की दशा में निविदा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. सफल सेवाप्रदाता को अनुबन्ध के समय कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में रु0 50,000.00 (रु0 पचास हजार मात्र) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में जमा करना होगा।
16. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।
17. सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास विश्वविद्यालय के कार्य हेतु पर्याप्त सामर्थ्य वाहन तथा अनुभवी कार्मिक है। यदि कार्यदेश निर्गत होने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है अथवा आंशिक कार्य करने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो ऐसी दशा में कार्यपूर्ति प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
18. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक अथवा उससे अधिक प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार कर सकता है। इसके साथ ही बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा पुनः नवीन निविदा आमंत्रित करने हेतु स्वतन्त्र है।
19. वाहन चालक का वेतन एवं अन्य व्यय, संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करनी होगी। यदि सेवाप्रदाता द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था नहीं की जाती है तो उस दशा में संबंधित भुगतान राशि की कटती सेवाप्रदाता से काट ली जायेगी। वाहन चालक ड्यूटी के समय वर्दी में रहेगा एवं वर्दी वाहन सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

20. वाहनों की मरम्मत/रख-रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा वहन किये जायेंगे। वाहन में तकनीकी खराबी होने की दशा में वाहन मालिक द्वारा तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्ययपूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।
21. सेवाप्रदाता से सेवा लिए जाने का समय अनुबन्ध की तिथि से अग्रिम 01 वर्ष तक वैध तथा स्थिर रहेंगी। संतोषजनक कार्य अथवा अपरिहाये स्थिति में अनुबन्ध अग्रतर बढ़ाया जा सकेगा।
22. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार होगा कि यदि सेवाप्रदाता निर्धारित अवधि में वाहनों की आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं करता है, तो जैसा प्रथम पक्ष (विश्वविद्यालय) उचित समझे, सेवाप्रदाता के विरुद्ध निर्णय ले सकता है, जिसमें कार्यपूर्ति प्रतिभूति राशि जब्त करना भी सम्मिलित है।
23. सेवाप्रदाता को कार्यादेश मिलने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य को किसी दूसरी फर्म/तृतीय पक्ष को किराए/पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो सेवाप्रदाता की प्रतिभूति/कार्य प्रतिभूति जब्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।
24. फर्म के वाहन चालकों को पर्वतीय स्थानों में वाहन चालाने का अनुभव तथा पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए।
25. स्वीकृति दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म/संस्थान की होगी, अनुपलब्धता/विलंब तथा असंतुष्टि की स्थिति में फर्म/संस्थान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये अपात्र (BLACK Listed) घोषित कर अनुबन्ध तत्काल समाप्त किया जायेगा। इसके साथ ही किसी अन्य शासकीय संस्थान में उक्त सेवा देने हेतु वर्जित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं EMD राशि जप्त कर ली जायेगी।
26. विश्वविद्यालय में सूचीबद्ध हुए प्रत्येक सेवाप्रदाता (फर्मों) से वाहक/सेवा प्राथमिकता के आधार पर अपवाद अथवा अपरिहार्य परिस्थिति होने पर क्रमानुसार चरणबद्ध रूप से ली जायेगी।
27. किसी भी विवाद की स्थिति में मा० कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
28. सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में किसी विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्र मुख्यालय नैनीताल होगा, अन्य किसी भी न्यायालय में विचारार्थ नहीं होगा।



कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

टैक्सी वाहन हेतु तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्रारूप
(तकनीकी मूल्यांकन हेतु न्यूनतम अर्हता)

क्रम	विवरण	विवरण	संलग्नक क्रमांक
1	सेवाप्रदाता/फर्म का नाम		
2	सेवाप्रदाता/फर्म पता	
3	सेवाप्रदाता का मोबाईल नंबर		
4	सेवाप्रदाता का जी0एस0टी0 नंबर		
5	ईमेल आई0डी0		
6	सेवाप्रदाता/फर्म कापैन नंबर (प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
7	फर्म/संस्था/कंपनी पंजीकरण क्रमांक एवं वर्ष (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)		
8	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि के रूप में रु0 1000/- की राशि जमा कराने का विवरण जमा रसीद		
9	सेवाप्रदाता फर्म को किराी भी शासकीय संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्ट न किये जाने सम्बन्धी शपथपत्र की छाया प्रति संलग्न करें। (नोटरी मुहर सहित)		
10	सेवाप्रदाता/फर्म के वार्षिक टर्नओवर सम्बन्धी प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें (प्रत्येक वर्ष में रु0 2.50 लाख/- से कम नहीं होना चाहिए)	Financial Year	Turn Over
		2021-22	
		2022-23	
11	सेवाप्रदाता/फर्म के आयकर रिटर्न जमा करने सम्बन्धी प्रमाण की छाया प्रति संलग्न करें।	Assessment Year 2019-20	
		Assessment Year 2020-21	
		Assessment Year 2021-22	
12	निविदादाता /फर्म द्वारा पूर्व में शासकीय संस्थानों में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करें।		
13	फर्म के पास 05 (टैक्सी,हल्का व भारी वाहक) वाहन होने सम्बंधित शपथ पत्र संलग्न		

हस्ताक्षर निविदादाता मुहर

PROFORMA FOR NON BLACKLISTING AFFIDAVIT

(To be submitted on Rs. 10/- Non Judicial Stamp Paper)

UNDERTAKING

I/we do hereby declare that our firm is not black listed or debarred or prohibited by Government of Uttarakhand /Government of India or any State Government / Board / Universities, since inception of the Firm / Company and no enquiry is pending against my/our firm/company and no criminal case is pending against the firm/company.

I further undertake and understand that if above declaration proves to be wrong/ incorrect or misleading our tender/ contract stands to be cancelled/ terminated.

Signature of Authorized Person

Name and seal of the firm

Date:/...../202

Contact Number.

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- / एसटीए / दस- 82 / 2022

दिनांक: 15 जुलाई, 2022

—: विज्ञापित :-

उत्तराखण्ड शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-619/ix/166 / 2005 दिनांक 17-01-2005 एवं अधिसूचना संख्या-53 / ix-1 / 166 / 2004 / 2019 दिनांक 11-01-2019 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा बैठक दिनांक 13-07-2022 के संकल्प संख्या-07 व अन्य संकल्प संख्या-08 (1) में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार यात्री किराया की दरों से सम्बन्धित विज्ञापित संख्या-565/एस.टी.ए./दस-82/2020 दिनांक 18-02-2020 (जो वर्तमान में लागू है) को, अधिक्रमित करते हुये, मंजिली गाड़ियों, टेका गाड़ियों, मालयानों, ई-रिक्शा, मोटर साईकिल किराया योजना के अन्तर्गत संचालित दुपहिया वाहनों, एम्बुलेन्स एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कार्यों तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन आपदा एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिग्रहीत वाहनों का अधिकतम यात्री किराया एवं माल भाड़े की दरें निम्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं:-

मंजिली गाड़ियों के लिए किराये की दरें :-

(एक) नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र के बाहर चलायी जाने वाली निजी क्षेत्र एवं परिवहन निगम की मंजिली गाड़ियों हेतु यात्री किराया दरें:-

क्र० सं०	श्रेणी	निर्धारित दर	
		मैदानी मार्गों हेतु	पर्वतीय मार्गों हेतु
1	2	3	4
(1)	साधारण (Non Deluxe Bus)	128.00 पैसे प्रति किमी० प्रति यात्री (मूल दर)	183.00 पैसे प्रति किमी० प्रति यात्री (मूल दर)
(2)	वातानुकूलित सेवा		
	क- (3x2) सीटिंग ले-आउट (A.C. Non Deluxe Bus)	मूल दर का 1.25 गुणा	मूल दर का 1.25 गुणा
	ख- (2x2) सीटिंग ले-आउट (A.C. Deluxe Bus) Integral Coach	मूल दर का 1.90 गुणा	मूल दर का 1.90 गुणा
	ग- Super Luxury Coach with monocoque body	मूल दर का 3.00 गुणा	मूल दर का 3.00 गुणा

स्पष्टीकरण:- परिवहन निगम के स्वामित्वाधीन संचालित मंजिली वाहनों पर उक्त दरों के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण अधिभार के रूप में आधारभूत किराए का अधिकतम 20 प्रतिशत तक पृथक से उदग्रहीत किया जा सकेगा।

(3) चारधाम/हेमकुंड यात्रा हेतु विशेष/अस्थायी परमिट पर संचालित बसों की किराया दरें :-

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	निर्धारित दर	
		किराया (रु०/प्रति किमी०)	प्रतीक्षा शुल्क (रु०/प्रतिदिन)
1	2	3	4
20 सीट तक		70.00	-
21 से 30 सीट	साधारण	63.00	3500.00
	डीलक्स (पुराबैक2x2)	76.00	5000.00
	वातानुकूलित	89.00	5500.00

1

Handwritten signature

1	2	3	4
31 से 45 सीट	साधारण	76.00	5000.00
	डीलक्स (गैर बेस)	83.00	6000.00
	वातानुकूलित	95.00	7000.00

(दो) केवल नगर निगम या नगर पालिका की क्षेत्रीय सीमा के भीतर 30 कि०मी० से अनधिक यात्रा की दूरी तक चलाई जाने वाली साधारण मंजिली गाड़ियों (ई-बसों को छोड़कर) हेतु अधिकतम यात्री किराया की दरें:-

क्र०सं०	निर्धारित स्लैब	निर्धारित दर (रु०)
1	2	3
1.	प्रथम 02 कि०मी० तक	9.00
2.	02 से अधिक किन्तु 06 कि०मी० तक	12.00
3.	06 से अधिक किन्तु 10 कि०मी० तक	18.00
4.	10 से अधिक किन्तु 14 कि०मी० तक	25.00
5.	14 से अधिक किन्तु 19 कि०मी० तक	30.00
6.	19 से अधिक किन्तु 24 कि०मी० तक	35.00
7.	24 से अधिक किन्तु 29 कि०मी० तक	40.00
8.	29 कि०मी० से अधिक	45.00

टेका यान के लिए किराये की दरें :-

(एक) ऑटोरिक्षा

मद	निर्धारित दरें
1	2
(1) किराये की दरें	प्रथम 02 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 60.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 18.00
(2) रात्रि किराया	उपरोक्त दर से 50 प्रतिशत अधिक (रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक)

(दो) टैम्पो (चालक को छोड़कर 5 से 7 सवारी क्षमता वाले तिपहिया वाहन)

किराये की दरें	प्रथम 2 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु. 50.00 तत्पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 18.00
----------------	---

(तीन) टैक्सी/मैक्सी कैब

वाहन का प्रकार	वाहन का मूल्य (लाख रु० में)	निर्धारित दरें			
		मैदानी मार्ग हेतु किराये की दर (रु० प्रति कि०मी०)		पर्वतीय मार्ग हेतु किराये की दर (रु० प्रति कि०मी०)	
		साधारण सेवा	वातानुकूलित	साधारण सेवा	वातानुकूलित
1	2	3	4	5	6
ऑर्डिनरी	08 लाख से अनाधिक	16.00	18.00	18.00	20.00
डीलक्स	08 लाख से अधिक परन्तु 15 लाख से अनधिक	20.00	22.00	22.00	25.00
लग्जरी	15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से अनधिक	25.00		27.00	
सुपर लग्जरी	25 लाख से अधिक	35.00		40.00	

and

2

प्रतीक्षा भाड़ा		
श्रेणी	प्रथम 02 घण्टे के लिए	02 घण्टे के पश्चात् प्रत्येक घण्टे के लिए
1	2	3
ऑर्डिनरी	50	50
डीलक्स	75	100
लग्जरी	100	150
सुपर लग्जरी	125	200

स्पष्टीकरण-1-80 कि०मी० से कम संचालन होने पर 80 कि०मी० का किराया देय होगा और 80 कि०मी० से अधिक संचालन होने पर प्रति कि०मी० की दर से किराया देय होगा।

2- 8 घण्टे तक कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा। एक दिवस में 200 कि०मी० से अधिक संचालन होने पर भी कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा।

3- 80 कि०मी० से 200 कि०मी० तक संचालन की स्थिति में 80 कि०मी० का किराया तथा 8 घण्टे से अधिक का प्रतीक्षा भाड़ा जोड़ने अथवा वास्तविक रूप से संचालित कि०मी० के किराये में जो किराया अधिक होगा, वह देय होगा।

(चार) टेका बस

सीटिंग क्षमता	वाहन की श्रेणी	निर्धारित दरें	
		किराया (रु०/प्रति कि०मी०)	
		मैदानी मार्ग	पर्वतीय मार्ग
1	2	3	4
20 सीट तक		61.00	67.00
21 से 30 सीट	साधारण	58.00	61.00
	डीलक्स (पुश बैक)	70.00	73.00
	वातानुकूलित	80.00	85.00
31 से अधिक	साधारण	70.00	73.00
	डीलक्स (पुश बैक)	77.00	79.00
	वातानुकूलित	88.00	91.00
प्रतीक्षा भाड़ा	80 कि०मी० से कम संचालन होने पर 80 कि०मी० का किराया देय होगा और 80 कि०मी० से अधिक संचालन पर प्रति कि०मी० की दर से किराया देय होगा। 08 घण्टे तक कोई प्रतीक्षा भाड़ा देय नहीं होगा। किन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक घण्टे के लिए रु० 200.00 अतिरिक्त देय होगा।		

(पांच) ई-रिक्शा

श्रेणी	दर (रु०)
ई-रिक्शा	रु० 12.00 प्रत्येक कि०मी० या उसके भाग के लिए

(छः) मोटर साईकिल योजना 1997 के अन्तर्गत किराये पर संचालित वाहनों हेतु अधिकतम किराये की दरें -

मूल्य के आधार पर वाहनों की श्रेणी	निर्धारित दरें (रु०)		
	पहले 02 घंटे के लिये	2 घंटे के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त घंटे के लिये	24 घंटे के लिये
1	2	3	4
रु० 01 लाख तक के वाहन हेतु	125.00	75.00	700.00
रु० 01 लाख से अधिक व 02 लाख तक के वाहन हेतु	175.00	100.00	800.00
रु० 02 लाख अधिक व 05 लाख तक के वाहन हेतु	250.00	100.00	1000.00
रु० 05 लाख अधिक व 10 लाख तक के वाहन हेतु	325.00	150.00	1500.00
रु० 10 लाख अधिक व 20 लाख तक के वाहन हेतु	800.00	400.00	4000.00
रु० 20 लाख अधिक मूल्य के वाहन हेतु	1000.00	600.00	5000.00

स्पष्टीकरण-किराया इंधन रहित देय होगा।

(सात) एम्बुलेन्स

अधिकतम निर्धारित दरें रु० में		
आधार भूत एम्बुलेन्स (Non AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ	आधार भूत एम्बुलेन्स (AC) ऑक्सीजन सिलिंडर के साथ	आई.सी.यू. कार्डियाक एम्बुलेन्स
1	2	3
(1) किराया- रु० 800.00 15 कि०मी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)	किराया- रु० 1200.00 15 कि०मी० की परिधि का एक तरफा छोड़ने का (अवधि एक घंटा)	किराया- रु० 3000.00 15 कि०मी० की परिधि तक रु० 4000.00 नर्सिंग स्टाफ के साथ रु० 6000.00 डॉक्टर के साथ
(2) 15 कि०मी० से अधिक दूरी हेतु रु० 18.00 प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिये	15 कि०मी० से अधिक दूरी हेतु रु० 20.00 प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिये	15 कि०मी० से अधिक दूरी हेतु रु० 45.00 प्रति कि०मी० या उसके भाग के लिये
01 घंटे के पश्चात रु० 200 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा।	01 घंटे के पश्चात रु० 250 प्रति घंटा प्रतीक्षा भाडा।	-

(आठ) माल वाहनों के लिए अधिकतम भाडे की दरें

1- मैदानी मार्ग हेतु	40.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.
2- पर्वतीय मार्ग हेतु	60.00 पैसा प्रति कुन्तल प्रति कि.मी.

स्पष्टीकरण-1-80 कि०मी० से कम संचालन होने पर 80 कि०मी० का किराया देय होगा और 80 कि०मी० से अधिक संचालन होने पर प्रति कि०मी० की दर से किराया देय होगा।

2- 8 घन्टे तक कोई प्रतिक्षा भाडा देय नहीं होगा। एक दिवस में 200 कि०मी० से अधिक संचालन होने पर भी कोई प्रतिक्षा भाडा देय नहीं होगा।

3- 80 कि०मी० से 200 कि०मी० तक संचालन की स्थिति में 80 कि०मी० का किराया तथा 8घन्टे से अधिक का प्रतिक्षा भाडा जोड़ने अथवा वास्तविक रूप से संचालित कि०मी० के किराये में से जो किराया अधिक होगा, वह देय होगा।

Amul

(नौ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन निर्वाचन कार्यों, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधीन आपदा तथा अन्य प्रयोजनों हेतु अधिग्रहीत किये जाने वाले यात्री/भार वाहनों के लिये भाड़े की दरें:-

टैक्सी/मैक्सी/बस

वाहन का प्रकार	वाहन का एक्स शोरूम मूल्य (लाख में)	अधिग्रहण हेतु किराये की दर का आगणन		पूरे दिन के लिये निर्धारित किराये की दरें (रूपये में)
		वाहन की अधिग्रहण अवधि	प्रतीक्षा भाडा (रूपये में)	
1	2	3	4	5
आर्डिनरी कैब	08 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	750	1430
डीलक्स कैब	08 लाख से अधिक परन्तु 15 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	1475	2355
लक्जरी कैब	15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से अनधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	2200	3480
सुपर लक्जरी कैब	25 लाख से अधिक	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	2925	4825
30 सीट अथवा कम क्षमता वाली बसें	-	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	-	2840
30 सीट से अधिक क्षमता वाली बसें	-	08 घंटे (न्यूनतम 80 किमी)	-	3800
एम्बुलेंस	तालिका में उल्लिखित वाहन के प्रकार की दर के अनुसार			

भार वाहन

वाहन का प्रकार	वाहन का एक्स शोरूम मूल्य (लाख में)	अधिग्रहण हेतु किराये की दर का आगणन		पूरे दिन के लिये निर्धारित किराये की दरें (रूपये में)
		वाहन की अधिग्रहण अवधि	प्रतीक्षा भाडा (रूपये में)	
3000 कि०ग्रा० तक	पे लोड 20 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	332	572
3000-7500 कि०ग्रा०	पे लोड 40 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	332	712
7500-12000 कि०ग्रा०	पे लोड 60 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	1216
12000-16200 कि०ग्रा०	पे लोड 80 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	1616
16200 कि०ग्रा० से अधिक	पे लोड 140 कुन्तल	न्यूनतम 80 किमी	496	2576

ans

स्पष्टीकरण

- 1- ऑटो रिक्शा का तात्पर्य तीन पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अनधिक सीटें हों।
- 2- टैम्पो का तात्पर्य तीन पहिये वाली गाड़ी से है, जिसमें चालक को छोड़कर 3 से अधिक परन्तु 6 से अनधिक सीटें हों।
- 3- ऑर्डिनरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित होती है और जिसका मूल्य रू० 8.00 लाख से अनधिक न हो।
- 4- डीलक्स कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू० 8.00 लाख से अधिक हो परन्तु रू० 15.00 लाख से अधिक न हो।
- 5- लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू० 15.00 लाख से अधिक हो, परन्तु रू० 25.00 लाख से अधिक न हो।
- 6- सुपर लग्जरी कैब का तात्पर्य चालक सहित 13 सीटिंग क्षमता से अनधिक चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी से है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित हो और जिसका मूल्य रू० 25.00 लाख से अधिक हो।
- 7- टेका बस के सम्बन्ध में एक घण्टे का समय वाहन में चढ़ने तथा उतरने के लिए दिया जाएगा और उसे प्रतीक्षा की अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा।
- 8- संगणित यात्री किराये की राशि 1.00 रू० के गुणांक में निर्धारित की जाएगी और 50 पैसे या कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को 1.00 रू० तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरणार्थ:-

$$1.01 \text{ रू० से } 1.50 \text{ रू०} = 1.00 \text{ रू०}$$

$$1.51 \text{ रू० से } 1.99 \text{ रू०} = 2.00 \text{ रू०}$$

- 9- यात्री किराए की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आधे किलोमीटर (0.5 कि.मी) से कम का भाग यात्री के पक्ष में छोड़ दिया जाएगा तथा आधा कि.मी. से अधिक का भाग एक कि.मी. (1.00 कि.मी.) तक पूर्णांकित किया जाएगा।
- 10- औसत दैनिक भाड़े की गणना के प्रयोजनार्थ दिनों की संख्या की गणना करने के लिए 24 घण्टे का दिन माना जाएगा और किसी दिन का 8 घण्टे से कम का भाग छोड़ दिया जाएगा।
- 11- किराये के अतिरिक्त उत्तराखण्ड मोटर कराधान (सुधार) अधिनियम, 2003 के प्राविधानों के अधीन देय मोटरयान कर, अथवा विशेष कर अथवा ग्रीन सैस की वसूली यात्रियों से नहीं की जाएगी।
- 12- मंजिली गाड़ियों के स्वामियों द्वारा किसी किराया शुल्क या उगाही, जो यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी या लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में मंजिली गाड़ियों पर लगायी गयी हो, के कारण अतिरिक्त किराया भी यात्रियों से वसूली किया जा सकेगा।
- 13- सीटों की मात्रा एवं बसों की श्रेणी के अन्तर्गत साधारण (Non Deluxe), सेमी डीलक्स (Semi Deluxe), डीलक्स (Deluxe) एवं सुपर डीलक्स (Super Luxery Coach with Monocoque Body) का अभिप्राय AIS 052 में निर्धारित मानकों से है।
- 14- पर्वतीय मार्गों का तात्पर्य पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल जिले, देहरादून जिले की चकराता तहसील, नैनीताल, चम्पावत

Ans

और पौड़ी गढ़वाल जिलों के उन भागों, जो पूर्व में टनकपुर से होकर पश्चिम में काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार से लक्ष्मणझूला तक तलहटी के आधार पर उत्तर की ओर पड़ता है और देहरादून शहर नगर भिन्न सीमा से आगे मरूरी की ओर की सभी सड़कों से है।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

संख्या 2744(1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल।
- 3- उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रुडकी, जिला हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को सरकारी गजट में प्रकाशित कर इसकी दो सौ प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- मुख्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 8- गार्ड फाइल/सूचना पट्ट।

(सनत कुमार सिंह)
सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।